भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 666

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 जुलाई, 2014 को दिया गया)

<u>कारपोरेट क्षेत्र की नीति</u>

666. श्री हुसैन दलवई :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कारपोरेट क्षेत्र की नीति में सुधार करने का विचार रखती है;
(ख) कारपोरेट क्षेत्र के समक्ष पेश आ रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार इन्हें किस प्रकार हल करने का विचार रखती है;
(घ) क्या कारपोरेट क्षेत्र अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है; और
(ड.) यदि हां, तो इसे किस प्रकार निभाया जा रहा है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग) : कंपनियों के नियमन के संबंध में कारपोरेट क्षेत्र से संबंधित नीति, उनके कार्य परिचालन का ढंग और उनके प्रबंधन तथा वित्त आदि के संबंध में नियामक प्रयोजनों का अनुपालन कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अतंर्गत बनाए गए नियमों में विहित है। इस अधिनियम में कंपनियों के नियमन संबंधी पद्धति/नीति को विकसित देशों की सर्वोत्तम प्रणालियों के समरूप लाने का प्रयास किया गया है।

(घ) से (ड.) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में 1000 करोड़ रुपए या अधिक का कारोबार करने वाली अथवा 500 करोड़ रुपए या अधिक के निवल मूल्य वाली अथवा 5 करोड़ रुपए या अधिक का निवल लाभ कमाने वाली कंपनियों के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर व्यय करना अनिवार्य है। सीएसआर व्यय में शामिल किए जाने वाले विषयों की सूची अधिनियम की अनुसूची-VII पर दी गई है। इन प्रावधानों के कार्यान्वयन का पहला वर्ष होने की वजह से उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत सीएसआर कार्यकलापों की मॉनिटरिंग शुरू करना अगले वर्ष से ही संभव हो पाएगा।

*****